

हाथ
होती
बैठकर
बहर
उठकर
ले
होती

गायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 4/2021 (2021/0045)

1. केसरलाल पुत्र भोलू जाति मीणा
 2. मूलचंद पुत्र लछमा जाति मीणा
 3. जयलाल पुत्र बन्ना जाति मीणा
 4. भंवरलाल पुत्र उगमा जाति मीणा
- निवासीगण टोपा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

बनाम

—प्रार्थी

र पत्नि अर्जुन जाति रेगर
सीला पत्नि लामचंद जाति रेगर
बेलाशी पुत्री गोकल जाति रेगर
काली पुत्री गोकल जाति रेगर
रगदीश पुत्र सूरजमल जाति रेगर
मदेवी पत्नि गोकल जाति रेगर
गेरन्ता पुत्री गोकल जाति रेगर
खमा पुत्र गोकल जाति रेगर
काली पुत्री गोकल जाति रेगर
लोकेश पुत्र गोकल जाति रेगर
कल्ली पुत्री राजू जाति रेगर
गोपाल पुत्र राजू जाति रेगर
स पुत्र राजू जाति रेगर
भुर पत्नि राजू जाति रेगर
महावीर पुत्र राजू जाति रेगर
रामघणी पुत्र राजू जाति रेगर
शयोजी पुत्र राजू जाति रेगर
सजना पुत्री राजू जाति रेगर
समस्त निवासीगण वाढ का झोपड़ा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
तहसीलदार तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

—अप्रार्थीगण

1. मीरा पुत्री उगमा जाति मीणा
 2. मोहनलाल पुत्र उगमा जाति मीणा
 3. शिवजीराम पुत्र उगमा जाति मीणा
 4. श्रीकिशन पुत्र भंवरलाल जाति मीणा
 5. रामप्यारी पुत्री बन्नालाल जाति मीणा
 6. रेखा देवी पत्नि स्व० लालचंद जाति मीणा
 7. सत्यनारायण पुत्र बन्नालाल जाति मीणा
 8. सीताराम पुत्र बन्नालाल जाति मीणा
 9. गलकू पत्नि भोलू जाति मीणा
 10. मदन लाल पुत्र भोलू जाति मीणा
 11. छीतर पुत्र लछमा जाति मीणा
 12. प्रियान्सी पुत्री लालचंद जरिये संरक्षक माता जाति मीणा
 13. आकांक्षा पुत्री लालचंद जरिये संरक्षक माता जाति मीणा
- समस्त निवासीगण टोपा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

—प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम



अपस्थित:- श्री रामअवतार मीणा -वकील प्रार्थीगण
श्री तहसीलदार सवर -पैरोकार सरकार
एकतरफा कार्यवाही-अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

आदेश

दिनांक 28.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी का कश्त आधिपत्य स्वाभित्व की ग्राम जीतापुरा की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2072-75 में दर्ज है-


खाता संख्या पुरानी	खसरा नंबर	रकबा(है0)	किस्म
106	1079 / 61	1.29	बीड
187	1080 / 61	0.45	बीड
97	1081 / 61	0.51	बीड
96	1082 / 61	0.70	बीड
130	1083 / 61	1.13	बीड
35	1084 / 61	1.30	बीड
118	1085 / 61	0.07	बीड
66	1086 / 61	1.13	बीड

उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में है तथा प्रार्थीगण स्वयं की आराजी है। इसके सीमाचिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पड़ोसियों दिन कब्जे काश्त में लड़ाई-झगडा होते हैं। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर निनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते हैं इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण दिनांक 10.11.2020 को फसल काश्त करने गये तो प्रार्थीगण ने फसल काश्त नहीं करने दी व गाली गलोच करने लग गये तथा कब्जा काश्त करने में बाधा उत्पन्न की व सीमाचिन्ह नहीं होने से धमकी दी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजी की स्थायी पत्थरगद्दी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तहसीलदार सावर से करवायी जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज जिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण को नोटिस तागिल होने से बावजूद गैर हाजिर रहने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। तथा बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के लायक अभिभाषक ने बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगद्दी करने की प्रार्थना की। तहसीलदार सावर -पैरोकार सरकार ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगद्दी शुल्क अदा करे तो वे पत्थरगद्दी नियमानुसार करवा दी जावेगी। अप्रार्थीगण कोई उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ पूर्व में ही एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगद्दी स्वीकार किया जाता है। ग्राम जीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या नया-पुराना 114-106 खसरा नंबर 1079/61 रकबा 1.29 हैक्टर, खाता संख्या 186-187 खसरा नंबर 1080/61 रकबा 0.45 है0 बीड खाता संख्या नया-पुराना 57-97 खसरा नंबर 1081/61 रकबा 0.51 है0 बीड, खाता संख्या नया-पुराना 58-96 खसरा संख्या 1082/61 रकबा 0.70 है0 बीड, खाता संख्या 123-130 खसरा 1083/61 रकबा 1.13 है0 बीड, खाता संख्या 23-35 खसरा नंबर 1084/61 रकबा 1.30 है0 बीड, खाता संख्या नया-पुराना 120-118 खसरा संख्या 1085/61 रकबा 0.07 बीड, खाता संख्या नया-पुराना 49-66 खसरा नंबर 1086/61 रकबा 1.13 है0 की पत्थरगद्दी



उपस्थंड अधिकारी
 केकडी (अजमेर)

(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 04/42(2021/45)
केसरलाल व अन्य बनाम गनगर व अन्य
अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
आदेश दिनांक 28.09.2021

अर्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर तहसीलदार सावर द्वारा
रवायी जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।
आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास-पंदौली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
केकड़ी (अजमेर)

